न्यायालय सहायक कलक्टर (FT),मावली जिला उदयपुर (राज0)
पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.
पत्रावली संख्या : 22/21 (प्रा0पत्र)
GCMS No. : 2021/66

अनवान्

1. श्री उदा पिता घीसा बलाई सालवी निवासी धोला का धनेरिया तहसील मावली।
2. श्री लालु पिता घीसा बलाई सालवी निवासी धोला का धनेरिया तहसील मावली।

.............प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री भेरा पिता दल्ला बलाई सालवी निवासी धोला का धनेरिया तहसील मावली।
2. श्रीमती नाथी पुत्री दल्ला बलाई सालवी निवासी धोला का धनेरिया तहसील मावली। मृतक :–

2/1 श्री मदन पिता मगना सालवी बलाई निवासी जाशमा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

2/2 श्री देवीलाल पिता मगना सालवी बलाई निवासी जाशमा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

2/3 श्री गोवर्धन पिता मगना सालवी बलाई निवासी जाशमा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

2/4 श्री शांतिलाल पिता मगना सालवी बलाई निवासी जाशमा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

2/5 पारसी पुत्री मगना सालवी बलाई निवासी जाशमा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।

...............विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री ओमप्रकाश डागलिया, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
–: : निर्णय : :–

दिनांक : 23.09.2025

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा धनेरिया पटवार हल्का खरताणा तहसील मावली के परिशिष्ट अ में वर्णित आराजी नम्बर 1281, 1282, 1283, 1284, 1285 किता 5 कुल रकबा 1.0522 हेक्टेयर भूमि पंजीकृत विक्रय विलेख से क्रय की गई आराजीयात है, उक्त पंजीकृत विक्रय विलेख में प्रार्थी संख्या 1 व 2 का नाम उल्लेख है किन्तु वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में विपक्षी संख्या 1 व 2 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:31:28 IST
Reason: SelfAttested

नाम दर्ज हैं। परिशिष्ट ब में वर्णित आराजी नम्बर 1268, 1269, 1286, 1287 किता 4 कुल रकबा 1.1573 हेक्टेयर भूमि प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की पैतृक सम्पति होकर प्रार्थीगण का 2/3 हिस्सा व विपक्षी संख्या 1 व 2 का 1/3 हिस्सा वर्तमान राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में दर्ज हैं।

2. यह कि हम प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 व 2 का सजरा खानदान इस प्रकार है :–

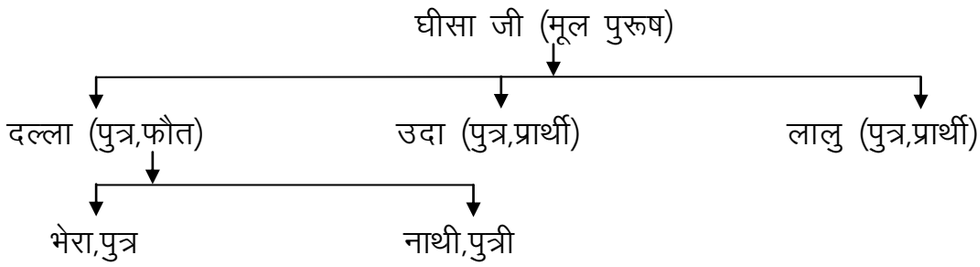

उक्त सजरे के अनुसार हमारे मूल पुरूष घीसा जी थे, जिनके तीन पुत्र दला, उदा व लालु हुए। दला का स्वर्गवास हो चुका है तथा उदा एवं लालु जीवित हैं। दला के वारिस पुत्र भेरा एवं नाथी हैं।

3. यह कि परिशिष्ट अ में वर्णित आराजीयात को हम प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1, 2 के पिता दला जी के नाम पर दिनांक 17.10.1944 ईश्वी को मोती पिता रामा जी जाट से क्रय की थी व उक्त विक्रय ईकरारनामें में हम प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 व 2 के पिता के नाम क्रय कर कब्जा प्राप्त किया जिस समय क्रय की उस समय हम प्रार्थीगण नाबालिग थे, केवल हमारा बडा भाई जो विपक्षी संख्या 1 व 2 के पिता है बालिग थे, इन्होने दिनांक 30.03.1965 को उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करवाने हेतु पटवारी पटवार हल्का खरताणा को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया व उक्त प्रार्थना पत्र में केवल विपक्षी संख्या 1 व 2 के पिता दला पिता घीसा जी बलाई के नाम पर उक्त जमीन क्रय कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, भू प्रबन्ध सेटलमेन्ट विभाग 2023 खसरा परिशोधन पत्र में पूर्व खातेदार मोती पिता रामा जी जाट द्वारा दला पिता घीसा जी बलाई को विक्रय करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जबकि उक्त दस्तावेज में स्पष्ट रूप से अंकित है, बलाई घीसा का बेटा दल्ला भाई, उदा भाई व लालु इन तीनों के नाम पर मोती जी ने विक्रय पत्र निष्पादित किया व उक्त दस्तावेज बहुत पुराना होने के कारण पटवारी जी को समझ में नहीं आया व पटवारी ने उक्त सम्पूर्ण भूमि दल्ला के नाम दर्ज कर दी जबकि उक्त भूमि सेटलमेन्ट विभाग द्वारा यह नोट भी अंकित कर रखा है कि उक्त इन्द्राज खारिज किये जाने के काबिल है, किन्तु उसकी अनदेखी करते हुए जो प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 व 2 के पिता के नाम पर 1/3–1/3 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था जो केवल सम्पूर्ण भूमि विपक्षी संख्या 1 व 2 के पिता जी के नाम पर दर्ज कर दी गई, जबकि जो दस्तावेज प्रस्तुत किया गया उक्त दस्तावेज में प्रार्थीगण व विपक्षी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:31:28 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 1 व 2 के पिता जी के नाम से क्रय करना लिखा है व विक्रय राशि अदा कर कब्जा प्राप्त किया और हमारे पिता घीसा जी ने अपने जीवनकाल से ही उक्त कृषि भूमि पर अपने तीनो पुत्र अर्थात हम प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 व 2 के पिता दला जी के मध्य सम्पूर्ण परिशिष्ट अ व ब में वर्णित आराजीयात का 1/3–1/3 हिस्से के अनुसार आपस में विभाजन कर लिया और उस जमीन का कब्जा भी सिपूर्द कर दिया तब से हम प्रार्थीगण अपने–अपने हक व हिस्से की भूमि पर काबिज होकर उक्त वर्णित आराजीयात का उपयोग–उपभोग कर रहे है, इस जमीन के 2/3 हिस्से पर गत 50 वर्ष से अधिक समय से हम प्रार्थीगण का कब्जा शांतिपूर्वक चला आ रहा है और आज भी हम प्रार्थीगण अपने 1/3–1/3 हिस्से अनुसार भूमि पर काबिज हो उक्त भूमि का उपयोग–उपभोग कर रहे हैं।

4. यह कि परिशिष्ट अ में वर्णित आराजीयात हमारे पिता घीसा जी ने अपने जीवनकाल में ही प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 व 2 के पिता जी के नाम से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था लेकिन हम प्रार्थीगण उस समय नाबालिग होने से व विपक्षी संख्या 1 व 2 के पिता जी बालिग होने के कारण उक्त सम्पूर्ण भूमि अपने नाम पर दर्ज करवा दी व हम प्रार्थीगण नाबालिग होने से विक्रय विलेख में हम प्रार्थीगण का नाम भी अंकित होने के बाद भी केवल हमारे बडे भाई विपक्षी संख्या 1 व 2 के पिता जी के नाम पर दर्ज कर दी व दला जी के निधन के बाद उक्त जमीन विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम पर दर्ज हो गई जो वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम पर अंकित है किन्तु मौके पर उक्त भूमि का बंटवाडा कर हम प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 व 2 के पिता जी के मध्य अपने पिता जी के जीवनकाल में जमीन का कब्जा सिपूर्द कर दिया तभी से अपने–अपने हक व हिस्से की भूमियों पर शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग कर रहे है परन्तु वर्तमान में उक्त वर्णित आराजीयात विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज होने से इनके मन में लोभ लालच की भावना उत्पन्न हो गई व हम प्रार्थीगण को हमारे हिस्से की भूमि से वंचित कर नाजायज रूप से लाभ प्राप्त करने की नियत से उक्त भूमि को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हो रहे हैं। हम प्रार्थीगण को हमारे हिस्से की भूमि के शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग में दखलन्दाजी कर रहे है जबकि विपक्षी संख्या 1 व 2 को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है, इसलिए हम प्रार्थीगण उक्त भूमि के 2/3 हिस्से को अपने नाम खातेदारी से घोषित करा राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी है जिसके लिये उक्त वाद पत्र आप माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:31:28 IST
Reason: SelfAttested

5. यह कि विपक्षी संख्या 1 व 2 उक्त वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठा कर उक्त वर्णित आराजीयात का जबरन तरीके से हडपना चाह रहे है तथा उक्त वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड में विपक्षी संख्या 1 व 2 का नाम दर्ज होने से मुझ प्रार्थी को बैंक से ऋण प्राप्त करने एवं उक्त वर्णित आराजीयात को उपजाऊ, कृषि योग्य बनाने में भारी असुविधा हो रही है। इसलिए उक्त वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड में हम प्रार्थीगण अपना नाम घोषित करवाने के अधिकारी हैं। परिशिष्ट अ में वर्णित आराजीयात जो केवल विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम पर अंकित है किन्तु जो विक्रय ईकरारनामा दिनांक 17.10.1944 ई. को मोती जी द्वारा हम प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 व 2 के पिता जी के पक्ष में निष्पादित करवाया किन्तु विपक्षी संख्या 1 व 2 के पिता जो हमारे बडे भाई है उन्होने जालसाजी व बदमाशी कर व पटवारी से मिलीभगत कर उक्त सम्पूर्ण भूमि जिसमें प्रार्थीगण का 1/3–1/3 हिस्सा है किन्तु विपक्षी संख्या 1 व 2 के पिता जी ने सम्पूर्ण हिस्सा अपने नाम दर्ज करवा दिया जिसका हम प्रार्थीगण ने श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय जी, उदयपुर में सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज परिवाद में क्रमांक – राजस्व/20827/2020/1287 दिनांक 11.08.2020 श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय जी उदयपुर को पेश किया जिसमें उप तहसीलदार साहब सनवाड से रिपोर्ट ली गई रिपोर्ट उप तहसीलदार साहब सनवाड के अनुसार प्रार्थी लालु जांच करने पर उन्होने बताया ग्राम धनेरिया में स्थित आराजी नम्बर 1281 से 1285 किता 5 कुल रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा भूमि जो कि विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज है। उक्त कृषि भूमि सेटलमेन्ट के पूर्व मोती पिता रामा जी जाट से घीसा बलाई के तीनो पुत्र दला पिता घीसा जी, उदा पिता घीसा जी व लालु पिता घीसा जी बलाई के नाम पर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पर सेटलमेन्ट के समय मोती पिता रामा जी जाट के नाम स्थित उक्त आराजीयात केवल दला पिता घीसा जी बलाई के नाम पर दर्ज कर दी गई, उक्त परिवाद पत्र के क्रम में समस्त दस्तावेज का अवलोकन किया गया, रेकार्ड के अनुसार आराजी नम्बर 1281 से 1285 किता 5 कुल रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा भूमि विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम पर दर्ज है और सेटलमेन्ट के समय मोती पिता रामा जी जाट के नाम पर दर्ज हैं। अब उक्त वर्णित आराजीयात बंटवाडा तीनो पुत्र दला, उदा व लालु के नाम पर न्यायालय में वाद दायर कर प्रार्थीगण राहत प्राप्त कर सकते है। उक्त रिपोर्ट जिला कलेक्टर महोदय जी उदयपुर दिनांक 11.08.2020 को प्रार्थी संख्या 2 को प्राप्त हुई, उसमें उक्त भूमि प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 व 2 के पिता जी के नाम से शामलाती खरीदी हुई जमीन तीनों के नाम पर दर्ज कर बंटवाडा करवाने हेतु व अलग–अलग नाम

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:31:28 IST
Reason: SelfAttested

पर दर्ज करने की स्वीकृति दी गई, उक्त आदेश में न्यायालय में प्रार्थना पत्र दायर कर प्रार्थीगण राहत प्राप्त कर सकते हैं।

6. यह कि प्रार्थीगण को विपक्षीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 11.08.2020 को श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय जी, उदयपुर द्वारा उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर दायर कर प्रार्थीगण राहत प्राप्त कर सकते है, उक्त रिपोर्ट के बाद पैदा हुआ, प्रार्थीगण ने विपक्षी संख्या 1, 2 को उक्त आदेश के बाद प्रार्थीगण के 1/3–1/3 हिस्से का प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज करवाने हेतु कहा व मना करने के कारण वाद कारण दिनांक 12.07.2021 से पैदा होकर निरन्तर जारी है व प्रार्थीगण उक्त प्रार्थना पत्र कोरोना महामारी फेलने/कोविड–2019 व 2021की वजह से विपक्षी संख्या 1 व 2 ने मौके पर आकर प्रार्थीगण को धमकी दी कि जमीन हमारे नाम पर है व जमीन को अन्य व्यक्तियों को विक्रय कर देंगे तब से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं। अन्त में निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 व 2 के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि विपक्षी संख्या 1 व 2 प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट अ में वर्णित भूमि को रहन, बैह, बक्षीस एवं अन्य तरीके से हस्तान्तरित नहीं करे एवं हम प्रार्थीगण को अपने–अपने हिस्से की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग करने देवे, इस भूमि में खनन कार्य नहीं करे, मिट्टी पत्थर इत्यादि नहीं निकाले व जब तक राजस्व रिकार्ड में बंटवाडा नहीं हो जावे तब तक किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करे एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

7. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं।

8. प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकतरफा की बहस सुनी गईं। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।

9. हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकतरफा बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है जो इस प्रकार है :–

1. ***<u>प्रथम दृष्टया मामला–</u>*** प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1, 2 के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रार्थीगण उक्त भूमि के वर्तमान में खातेदार काश्तकार नहीं हैं। प्रार्थीगण द्वारा घोषणा, बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत। विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:31:28 IST
Reason: SelfAttested

किया जाने का निवेदन किया हैं। प्रार्थीगण का कथन है कि उक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की मौरूसी सम्पति है जिसे प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1, 2 के पिता दला जी के नाम पर दिनांक 17.10.1944 को तत्कालीन खातेदार मोती पिता रामा जाट से क्रय करना बताया। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 1, 2 के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं जो पूर्व में विपक्षी संख्या 1, 2 के पिता दला के नाम पर दर्ज थी। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर यह जाहिर होता है कि वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1, 2 के पिता के नाम विक्रय पत्र दिनांक 17.10.1944 के आधार पर जरिये भू प्रबन्ध सेटलमेन्ट विभाग द्वारा सम्वत् 2023 में नामान्तरकरण दिनांक 29.12.66 को दर्ज हुई तत्पश्चात् दला की मृत्यु पर विरासत के आधार पर विपक्षी संख्या 1, 2 के नाम दर्ज हुई। इस प्रकार विपक्षी संख्या 1, 2 व इनके पिता के नाम वादग्रस्त भूमि 59 वर्षो से दर्ज चली आ रही हैं। प्रार्थीगण द्वारा 59 वर्ष पश्चात वाद प्रस्तुत करने का भी कोई ठोस कारण अंकित नही किया जो माने जाने योग्य हो। परिशिष्ट ब में वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1, 2 के नाम संयुक्त रूप से हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं। उभय पक्षकारान सहखातेदार होने से यदि किसी एक पक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो इससे उसके हक अधिकारो पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। चूंकि सहखातेदारी की भूमि पर प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा माना जाता हैं। इस कारण 59 वर्ष से दर्ज चले आ रहे खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित नहीं पाया जाता हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के विरूद्व साबित होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के विरूद्व में निर्णित किया जाता है।

2. ***<u>सुविधा का संतुलन–</u>*** प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 1, 2 के नाम पर हिस्सेनुसार दर्ज हैं। वर्तमान में प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं हैं। वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1, 2 व इनके पिता के नाम विगत 59 वर्ष से दर्ज चली आ रही है। इसलिए यदि 59 वर्ष से दर्ज चले आ रहे खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो इससे खातेदारों को काफी असुविधा का सामना करना पडेगा। चूंकि खातेदार को अपनी भूमि का उपयोग उपभोग करने का पूरा अधिकार हैं। इसलिए सुविधा का संतुलन का बिन्दु विपक्षी संख्या 1, 2 के पक्ष में साबित होता हैं। अतः सुविधा संतुलन का बिन्दू प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित किया जाता हैं।

3. ***<u>अपूरणीय क्षति का बिन्दू–</u>*** प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 1, 2 के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार नहीं हैं। विपक्षी संख्या 1, 2 खातेदार काश्तकार होने से इन्हे अपने ... हिस्सा भूमि का विकास करने, ऋण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:31:28 IST
Reason: SelfAttested

आदि लेने का पूरा अधिकार हैं। यदि विपक्षी संख्या 1, 2 के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो इससे विपक्षी संख्या 1, 2 को अपूरणीय क्षति होगी तथा विपक्षी संख्या 1, 2 को अपनी भूमि के विकास, ऋण आदि में काफी कठिनाईयों का सामना करना पडेगा। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन के बिन्दु प्रार्थीगण के विरूद्व में निर्णित किये जाने से उक्त बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्व में निर्णित किया जाता हैं।

10. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण के विरूद्व घोषणा, बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि मौजा धनेरिया पटवार हल्का खरताणा तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 223 पर दर्ज आराजी नम्बर 1281, 1282, 1283, 1284, 1285 किता 5 कुल रकबा 1.0522 हेक्टेयर भूमि विपक्षी संख्या 1, 2 के नाम हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं। खाता संख्या 222 पर दर्ज आराजी नम्बर 1268, 1269, 1286, 1287 किता 4 कुल रकबा 1.1573 हेक्टेयर भूमि प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1, 2 के नाम हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर परिशिष्ट अ में वर्णित वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1, 2 के नाम व परिशिष्ट ब में वर्णित आराजी प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1, 2 के नाम पर दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा परिशिष्ट अ में वर्णित भूमि को अपनी पैतृक सम्पति होना बताकर अपने हिस्से की घोषणा करा बंटवाडा चाहा गया है तथा परिशिष्ट ब में वर्णित आराजी का बंटवाडा चाहा गया हैं। परिशिष्ट अ में वर्णित भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 1, 2 के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं जो पूर्व में विपक्षी संख्या 1, 2 के पिता दला के नाम पर दर्ज थी। वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1, 2 के पिता के नाम विक्रय पत्र दिनांक 17.10.1944 के आधार पर जरिये भू प्रबन्ध सेटलमेन्ट विभाग द्वारा सम्वत् 2023 में पारित नामान्तरकरण दिनांक 29.12.66 से दर्ज हुई तत्पश्चात् दला की मृत्यु पर विरासत के आधार पर विपक्षी संख्या 1, 2 के नाम दर्ज हुई। इस प्रकार परिशिष्ट अ में वर्णित भूमि विपक्षी संख्या 1, 2 व इनके पिता के नाम विगत 59 वर्षों से दर्ज चली आ रही हैं। परिशिष्ट ब में वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1, 2 के नाम संयुक्त रूप से हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं। उभय पक्षकारान सहखातेदार होने से यदि किसी एक पक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो इससे उसके हक अधिकारो पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। चूंकि सहखातेदारी की भूमि पर प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा माना जाता है। अतः परिशिष्ट अ में वर्णित आराजीयात

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:31:28 IST
Reason: SelfAttested

विपक्षी संख्या 1, 2 व इनके पिता के नाम 59 वर्षो से दर्ज होने एवं परिशिष्ट ब में वर्णित आराजीयात सहखातेदारी की भूमि होने से खातेदारो के विरूद्ध बिना किसी आधार के अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित नही है।

शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि के आधार पर तय किये जायेगे। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन का बिन्दु व अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित किये गये हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय सरे ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:31:28 IST
Reason: SelfAttested